

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

दस्तावेज़: एफ 186()परावि / सेक्षा / निरी - 11/2015-16

५३७७

जम्बुर दिनांक: 30-03-2016

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग हारा संघालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के अंकेक्षणों जैसे एजी/एलएफएडी/सोशल ऑफिट/आंतरिक अंकेक्षण संबंधी निर्देशों की पालना में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत विभाग हारा इन निर्देशों को सरलीकृत किये जाने के क्रम में यह निर्णय लिया जाता है कि कार्यों के पूर्णता प्रमाणणन की दिनांक से एक वर्ष के अन्दर ही भौतिक सत्यापन किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार लिए गए निर्णय के क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 29.12.2015 ने आंतरिक संस्थाधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेन्द्रा योजनानुसंगत किये गये/करकरे जा रहे कार्यों एवं समस्त व्यय की विस्तृत जांच सुनिश्चित की जावे एवं दिन कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी किये गये हैं का भौतिक सत्यापन कराया जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

मार्च 30/3/16

(अधिकारी निहाय छाकुर)

शासन सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग

जम्बुर दिनांक

दस्तावेज़: एफ 186()परावि / सेक्षा / निरी - 11/2015-16

इतिलिपि निनाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है —

१. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर
२. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
३. निजी सचिव, शासन सचिव, गा. वि., जयपुर
४. निजी सचिव, आयुक्त इंजीएस
५. अतिरिक्त आयुक्त-प्रथम/द्वितीय, इंजीएस
६. जिला कलकटर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
७. निदेशक, सामाजिक अंकेदण, शासन सचिवालय, जयपुर
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
९. विकास अधिकारी, पंचायत समिति
१०. रेलिंग पत्रायली
११. कम्प्युटर सेल, किलम की मेलस्ट्राट पर अफ्केट हेल.


शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग